



इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 146 / प्र0अ0-भवन / जोन-1 / 2011-12 दिनांक 21 / 11 / 2011

अनुमति-पत्र

यह अनुमति केवल उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अर्न्तगत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर व्यवसायिक/आवासीय मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मित्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्रीमती पाषाली सोलंकी पत्नी श्री अजीत कुमार सोलंकी स्थल 7बी/8वी म्योर रोड इलाहाबाद जोन संख्या (1) के अर्न्तगत दाखिल व्यवसायिक/आवासीय मानचित्र के प्रस्तावित भाग पर निर्माण की अनुमति निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
3. स्थल पर 02 वृक्ष लगाने होंगे तथा वृक्षों को हरा-भरा रखने का दायित्व आवेदक का होगा।
4. स्थल पर बोर्ड लगाकर संशोधित मानचित्र की स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित करना होगा।
5. मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट संख्या-24530/2010 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 06.07.2010 के अनुसार मा0 न्यायालय के ओपेन एरिया पेनाल्टी के सम्बन्ध में अन्तिम आदेश के प्रति विकास प्राधिकरण द्वारा सूचित किये जाने पर अथवा मा0 न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में 15 दिन के अन्दर निर्णित धनराशि जमा करनी होगी।
6. स्थल का उपयोग स्वीकृत प्रस्तावना के अनुरूप ही करना होगा।
7. स्थल पर समस्त आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण कराकर इ0वि0प्र0 से पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।
8. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अर्न्तगत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
9. यह स्वीकृति सैद्धान्तिक होगी, जिसकी प्रकृति अस्थायी होगी। उपरवर्णित शर्तों को पूर्ण करने तथा पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही मानचित्र की अन्तिम स्वीकृति प्रदान की जायेगी। **Conditions** से **Material/ Substantial** विचलन की स्थिति में स्वीकृति स्वतः निरस्त हो जायेगी तथा इस आधार पर की गयी समस्त कार्यवाहियाँ अकृत एवं शून्य समझी जायेगी।
10. यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है। यदि भूखण्डों का उप-विभाजन अथवा पार्क एवं रोड इत्यादि का अतिक्रमण विकासकर्ता द्वारा किया जाता है तो इ0वि0प्र0 द्वारा नियमानुसार उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अर्न्तगत कार्यवाही की जायेगी।
11. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
12. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
13. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
14. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अर्न्तगत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।


Regd. Office
#6, 5, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

21/11/2011
(सोमा सिंह)

संयुक्त सचिव/प्र0अ0-भवन
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद।

1c

OWNER - SMT PASHALI SOLANKI
 W/O SRI AJEET SOLANKI
 DISTT - ALHABAD
 PROPOSED BUILDING PLAN OF PART OF NAZUL PLOT NO 7 B & B B, MUR ROAD.



SCHEDULE OF AREA

SCHEDULE OF AREA	sq. mt.
NET AREA OF PLOT	136.180
PROPOSED AREA ON F.F.	64.060
PROPOSED AREA ON G.F.	64.060
OPEN AREA ON G.F.	132.120
OPEN AREA ON F.F.	132.120
KURTY AREA	16.250
GROUND COVERAGE	32.551
F. A. R.	6510

SCHEDULE OF DWAR SIZE

DOOR	D	1000 X 2500
"	D	300 X 2500
"	D	1500 X 2500
WINDOW	W	1800 X 1670
"	W	1500 X 1670
"	W	1200 X 1670
VENTILATOR	V	300 X 150

